

परिशिष्ट - अ पर्वत की प्रवानगा (का) की जानकारी

देवरा क्रमांक 2606 श्री जयवद्धुन ८६६ नं प्र००१११४ (५)

तंचित रहने का कारण					
क्र.	विकास कार्य का नाम	विभाग का नाम	योजना का नाम	कब से लंचित है, दिनांक	
1	परिया निर्माण कार्य एवं विकास कार्य यांत्रिक योजना एवं नाले के पास यांत्रिक योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा	2021	<p>परिया निर्माण कार्य के माध्यम सार्व पर की गई है। उक्त शेषवर्त मार्ग बनारा टप्पा से पठार तक तर्ह से इकूलन कर रखा गया है। परिया निर्माण कार्य की अनुमानित लंबाई 45-50-11 से मनरेगा योजना में इकूलन कर रखा गया है। परिया निर्माण कार्य सामग्री भूलक है। उक्त परिया निर्माण कार्य में बातस केलवर्ट बनाया जाकर परियर्स और स्ट्रेच वाती परियर्स का निर्माण किया जाना है। जिसमें पुलों के निर्माण में लगाने वाली सेटिंग एवं कांकीट हप्पर मशीन का उपयोग किया जाना होगा। 2022-23 का संजनदूर सामग्री भारी मशीनरी एवं तकनीकी सापड़ की आवश्यकता है। जिसे का वित्रिय वर्ष 2022-23 का संजनदूर सामग्री भुगतान को जोड़कर 6537 है। अतः उक्त कार्य मनरेगा योजना से किया जाना संभव नहीं है।</p>
2	एकाडेम स्टापडेम निर्माण कार्य योजना के पास यांत्रिक योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा	2021	<p>एकाडेम स्टापडेम निर्माण के कार्य ग्राम पंचायत के केंपमेंट लेवर ट्रीटमेंट के केंपमेंट हिस्से के केंपमेंट एरिया में ट्रीटमेंट के कार्य पहले करना होता है उसके पश्चात नियर्स के केंपमेंट एरिया में ट्रीटमेंट के कार्य लिये जाते हैं। यांकि उक्त स्टापडेम निर्माण कार्य केंपमेंट एरिया के उपरी हिस्से में ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण नहीं हआ रहा जब उपरी हिस्से के केंपमेंट एरिया में ट्रीटमेंट के कार्य पूर्ण हो गये उसके उपरी हिस्से के केंपमेंट के कार्य लिए जा रहे जिसके कारण वर्तमान में लिया जाना संभव नहीं है।</p>
3	सी.सी.रोड निर्माण कार्य यांत्रिक योजना से शा.प्रा.वि.पंजेच तक यांत्रिक योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा	2021	<p>सी.सी.रोड निर्माण कार्य नहर की योजना से शा.प्रा.वि.पंजेच तक यांत्रिक योजना के कार्यों पर वित्रिय किया जाना अनियन्त्री है। अतः वर्तमान प्रयोग के कार्यों पर वित्रिय का परिवर्तन 5529 है जो शासन नियर्स के अनुक्रम में 65 प्रतिशत से कम है। अतः वर्तमान में रोड नियर्स को अनुमति दी जाना संभव नहीं है।</p>
4	सी.सी.रोड निर्माण कार्य यांत्रिक योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा	2021	ग्राम पंचायत के खाते में 15 वित्र में राशि की उपलब्धता न होने से कार्य की टीएस नहीं हुई।
5	हरिजन सोहन्ता राजन वस्ती यांत्रिक योजना	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	मनरेगा	2021	ग्राम पंचायत के खाते में 15 वित्र में राशि की उपलब्धता न होने से कार्य की टीएस नहीं हुई।

[21/3/2023]

एस. एल. निष्ठाने
कार्यपालन यंत्री

विधानसभा तारंकित प्रश्न क्रमांक 2606 द्वारा श्री अयवर्द्धन सिंह के संबंध में मनोरगा अंतर्भूत वन विभाग के लंबित प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जनपद	विकास कार्य का नाम	विभाग का नाम	योजना का नाम	कब से लंबित है, दिनांक	लंबित रहने का कारण
1	आरोन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	राधोगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

म.एल. निमज्ज
दस्तावेज़ द्वारा
कार्यपालन द्वारा परिषद
ग्राम पालन द्वारा

परिशिष्ट - ब

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2606 द्वारा भी जयवर्द्धन सिंह के प्रश्नांश (ख), (जा) रुदं (छ) की जानकारी

क्र.	दिकास कार्य का नाम	प्रश्नकर्ता से पत्र प्राप्ति दिनांक	जिला स्तर से की गई कार्यवाही	प्रकरण का निराकरण की समयावधि
1	पुलिया निर्माण कार्य रामलाल बंजरा टप्पा में नाले के पास ग्राम साबरीनाथ	382/21-07-21	उक्त कार्य मनरेगा से किया जाना संभव नहीं है।	
2	रट्टॉपडेम निर्माण कार्य ओमप्रकाश के खेत के पास नाले पर ग्राम चांदनभेट, ग्रा.पं. साबरीनाथ	382/21-07-21	कार्यालय जि.पं. गुना के पत्र कं 6522 दि. 07. 10.21 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपं. राधोगढ़ को उक्त कार्य में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।	मनरेगा के सामग्री मद में राशि की उपलब्धता के आधार पर
3	सुदूर राइक निर्माण कार्य नहर की पुलिया से शा.प्रा.वि. पंजेड़ा तक ग्राम चांदनभेट	382/21-07-21		वर्तमान में गुना जिले में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के कार्यों पर व्यय का प्रतिशत 58.29 है जो शासन निर्देशों के अनुक्रम में 65 प्रतिशत से कम है। उक्त रोड निर्माण कार्य सामग्री गुलक है। वर्तमान में अनुगति दी जाना संभव नहीं है।
4	सीसी रोड निर्माण कार्य ग्राम बांसखेड़ी ग्राम पंचायत इमलिया	468/06-09-21	पत्र सीधे जनपद पंचायत कार्यालय में प्राप्त हुआ है।	ग्राम पंचायत के खाते में 15 वित्त में राशि की उपलब्धता के आधार पर
5	सी०सी० रोड निर्माण कार्य हरिजन मोहल्ला राजन बस्ती ग्राम पंचायत खिरियांगी	503/06.09.21	कार्यालय जि.पं. गुना के पत्र कं 6524 दि. 07. 10.21 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपं. आरोन को उक्त कार्य में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।	ग्राम पंचायत के खाते में 15 वित्त में राशि की उपलब्धता के आधार पर

